

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अपील संख्या : 1035/2017

लखनलाल व अन्य


बनाम

कन्हैयालाल व अन्य

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | 13.01.2020 | <p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त/प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि आवंटनशुदा जमीन पर रेस्पोडेन्ट्स का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही आवंटन की शर्तों की पालना की गई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्त को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्त काबिज है। अपीलान्त अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपीलार्थी के हितों की रक्षार्थ अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। वकील अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी/अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात पर ना तो अपीलान्त का कोई कब्जा है ना ही पूर्व में रहा है। रेस्पोडेन्ट को आराजीयात जरिये आवंटन प्राप्त हुई है एवं रेस्पोडेन्ट के हक में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जाने की समयवधि भी पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है। इसलिये विधिक प्रावधानों अनुसार रेस्पोडेन्ट खातेदारी प्राप्त करने का हक अधिकारी है। अपीलान्त ने अपनी अपील या प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्य वर्णित नहीं किये है जिससे यह माना जावे कि अपीलान्त का आराजीयात पर कब्जा है एवं अपीलान्त अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अतः प्रार्थी/अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।</p> <p>उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व मनन यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.06.2017 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट/वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान कर खातेदार घोषित किया गया। पत्रावली का समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि साबिक खसरा नंबर 98/151 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नंबर 215 रकबा 1.6500 हैक्टेयर का आवंटन वादी के हक में किया गया था। जिसका नामान्तकरण वादी के हक में गैर खातेदार के रूप में दर्ज होकर जमाबंदी में वादी का नाम गैर खातेदार के रूप में अंकन किया गया। उसके उपरान्त वादी द्वारा लगातार विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काशत किया जा रहा है।</p> | |




राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



उपरोक्त समस्त तथ्यों की पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, खसरा गिरदावरी में वादी के द्वारा फसल काश्त की जाने की प्रविष्टियों इत्यादि से होती है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में भी वादी को विवादग्रस्त आराजीयात पर गैर खातेदार के रूप में आवंटन पश्चात् लगातार फसल काश्त किया जाना बताया गया है एवं साबिक तथा वर्तमान गिरदावरी में वादी की काश्त दर्ज होने व काश्त किये जाने से खातेदारी अधिकार उत्पन्न होना भी बताया गया। वादी के हक में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किये जाने की समयावधि भी पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है। इसलिये विधिक प्रावधानों से वादी खातेदारी प्राप्त करने का हक अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्त का भूमि पर काबिज काश्त होने का कथन निराधार पाया जाता है। जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी का विवादग्रस्त भूमि में कोई हित व अधिकार निहित नहीं है एवं ना ही प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से किसी प्रकार से पीडित व प्रभावित पक्षकार की श्रेणी में होना पाया जाता है। माननीय राजस्व मंडल की फुल बैन्च के द्वारा 2011 (2) आर.आर.टी. पेज 721 जगदीश बनाम सीताराम में प्रतिपादित निर्णयानुसार भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना असंवैधानिक है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान भी नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये सही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्त अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. आधारहीन होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी/अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है जिसके फलस्वरूप अपील अपीलान्त भी स्वतः खारिज है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर